कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश नर्मदापुरम(म0प्र0)

—::आदेश::—

क्रमांक 418 /दो—11—10/2018 नर्मदापुरम, दिनांक 17.04.2026

श्री विनीत तिवारी, भृत्य, न्यायालय प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वरिष्ठ खण्ड इटारसी के न्यायालय के द्वितीय अतिरिक्त न्ययाधीश इटारसी का दिनांक 25.04.2026 से 30.04.2026 तक कुल 06 दिवस का अर्जित अवकाश, मुख्यालय से बाहर रहने की अनुमति सहित स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश स्वीकृति पश्चात् आवेदक के अर्जित अवकाश लेखे में कुल 145 दिवस का स्वत्व शेष है।

1— उपरोक्त अवकाश अवधि में धारित पद रिक्त रहेगा।
2— अवकाश अवधि मूलभूत नियम 26 (बी) (दो) के तहत प्रमाणित की जाती है।

SC
जिला रजिस्ट्रार
सिविल कोर्ट नर्मदापुरम,(म.प्र.)

पृ0क0 1676/दो—11—10/2018 नर्मदापुरम, दिनांक 17.04.2026

यथाआदेश प्रतिलिपिः—

01. प्रभारी अधिकारी नजारत अनुभाग, इटारसी की ओर सूचनार्थ प्रेषित है।
02. प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वरिष्ठ खण्ड इटारसी के न्यायालय के द्वितीय अतिरिक्त न्ययाधीश इटारसी की ओर सूचनार्थ एवं श्री विनीत तिवारी, भृत्य, को सूचित कराये जाने हेतु प्रेषित है।
03. जूनियर सिस्टम एनालिस्ट, नर्मदापुरम की ओर वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु प्रेषित है।

जिला रजिस्ट्रार
सिविल कोर्ट नर्मदापुरम,(म.प्र.)